2010:**CGHC**:8307-**DB**

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 5393/2005

याचिकाकर्ता स्मिता जांगड़े व अन्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

तथा अन्य संबंधित प्रकरण

विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ ।

सही/-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

आदेश हेतु दिनाँक 06-04- 2010 को सूचीबद्घ करें

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठः माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर , न्यायाधिपतिगण

याचिकाकर्तागण

1. स्मिता जांगड़े, पिता श्री जी.आर. जांगड़े, आयु लगभग 19 वर्ष।
2. आकांक्षा शिवहरे, पिता श्री रोहित कुमार शिवहरे, आयु लगभग 20 वर्ष।
3. मीमांशा पटेल, पिता डॉ. जी.डी. पाटे, आयु लगभग 19 वर्ष।
4. अमित अग्रवाल, पिता रमेश अग्रवाल, आयु लगभग 21 वर्ष।
5. रणजीत छाबड़ा, पिता सतनाम सिंह छाबड़ा, आयु लगभग 19 वर्ष।
6. मनाली गुप्ता, पिता श्री डी.के. गुप्ता, आयु लगभग 21 वर्ष।
7. सौम्या जायसवाल, पिता श्री एस.एन. जायसवाल, आयु लगभग 19 वर्ष।
8. हुमेरा परवेज, पिता डॉ. एम. परवेज अख्तर, आयु लगभग 20 वर्ष।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. पुष्पांजलि साहू, पिता श्री आर.पी. साहू, आयु लगभग 20 वर्ष।

10. एस प्रीति प्रकाश, पिता श्री एस. प्रकाश, आयु लगभग 21 वर्ष।

11. शिवानी भटनागर पिता श्री सर्वज्ञ भटनागर, आयु लगभग 20 वर्ष।

12. चिरा लाखोटिया, पिता श्री सी.बी. लखोटिया, आयु करीब 19 वर्ष

13. प्रियाल पाठक पिता श्री सुनील पाठक, आयु लगभग 20 वर्ष।

14. आशीष तलरेजा पिता श्री सी.आर. तलरेजा, आयु लगभग 20 वर्ष

15. गौरव त्रिपाठी पिता श्री अवध त्रिपाठी आयु लगभग 19 वर्ष

16. निधि साहू, पिता श्री पी.एल. साहू, आयु लगभग 22 वर्ष।

17. श्रबानी मोइत्रा, पिता श्री के.के. ओइत्रा, आयु लगभग 20 वर्ष

18. गरिमा सिंघल, पिता श्री दिनेश सिंघल, आयु लगभग 20 वर्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. प्रियंका खटीक, पिता श्री सी.एल. खटीक, आयु लगभग 20 वर्ष

20. प्रियंका बटाविया, पिता श्री बी.बी. बटाविया, आयु लगभग 21 वर्ष

21. अर्चना पैकरा, पिता श्री जी.आर. पैकरा, आयु लगभग 22 वर्ष

22. शेफाली सिंह, पिता श्री डॉ. एस.आर. सिंह, आयु लगभग 22 वर्ष

23. नमिता सिंह, पिता श्री एम.आर. सिंह, आयु लगभग 22 वर्ष

24. नेहा गर्ग, पिता श्री के.के. अग्रवाल, आयु लगभग 21 वर्ष

25. आकांक्षा गर्ग, पिता श्री प्रहलाद गर्ग, आयु लगभग 19 वर्ष

26. फरहाना परवीन पिता श्री मोहम्मद सलबर अहमद आयु लगभग 21 वर्ष

27. प्रणीता अग्रवाल पिता डॉ. श्री प्रवीण अग्रवाल, आयु लगभग 18 वर्ष

28. नेहा निहलानी, पिता, श्री पी. निहलानी, आयु लगभग 21 वर्ष।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. ज्योति सिंह पिता श्री प्रमोद सिंह , आयु लगभग 21 वर्ष।

30. खुशबू अग्रवाल, पिता, श्री राजबीर प्रसाद अग्रवाल, आयु लगभग 22 वर्ष।

31. सोनाली सोनी, पिता, श्री जे.एल. सोनी, आयु लगभग 20 वर्ष।

32. अदिति कश्यप, पिता, श्री टी.पी. कश्यप, आयु लगभग 21 वर्ष।

33. मनदीप कौर, पिता, स्वर्गीय श्री एस. हरभजन सिंह, आयु लगभग 19 वर्ष।

34. प्रीति शर्मा, पिता, डॉ. श्री एल.डी. शर्मा, आयु लगभग 19 वर्ष।

35. नीरव राठौर, पिता श्री शरद राठौर, आयु लगभग 19 वर्ष

36. निमिषा विरानी, पिता, श्री एम.के. विरानी, आयु लगभग 19 वर्ष

37. दीपाली जैन, पिता डॉ. श्री एम.के. जैन, आयु लगभग 19 वर्ष।

38. पुनीत गुप्ता, पिता श्री चंद्र मोहन गुप्ता, आयु लगभग 18 वर्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. रोहणी यादव, पिता श्री अशोक कुमार यादव, आयु लगभग 19 वर्ष

40. अंजलि श्रीवास्तव, पिता श्री एम.एम. श्रीवास्तव, आयु लगभग 21 वर्ष।

41. सोनाली जैन, पिता श्री हरीश जैन, आयु लगभग 19 वर्ष।

42. गोरव जोतवानी, पिता श्री बासुदेव जोतवानी, आयु लगभग 20 वर्ष।

43. सुधीर रावियानी, पिता डॉ. श्री शिवलाल रावलानी, आयु लगभग 19 वर्ष।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

44. नम्रता कांकरिया, पिता श्री एस.के. कांकरिया, आयु लगभग 19 वर्ष

45. साकेत दुबे, पिता श्री सुलभ दुबे, आयु लगभग 20 वर्ष

46. आस्था दीक्षित, पिता श्री अरविंद दीक्षित, आयु 22 वर्ष

47. प्रियंका परिहार, पिता श्री डी.एस. परिहार, आयु लगभग 19 वर्ष।

48. आर. सुभा राव, पिता श्री आर. रवींद्र नाथ, आयु लगभग 19 वर्ष।

49. सालू लिखमानिया, पिता श्री नरेश लिखमानिया, आयु लगभग 19 वर्ष।

50. गरिमा तिवारी, पिता श्रीमती अर्चना तिवारी, आयु लगभग 19 वर्ष।

51. माधुरी पटेल, पिता श्री टी.पी. पटेल, आयु लगभग 21 वर्ष।

52. परेश सोनी, पिता श्री एन.डी. सोनी, आयु लगभग 23 वर्ष।

53. अर्पिता पिल्लई, पिता डॉ. श्री एन.आर.जी. पिल्लई, आयु लगभग 20 वर्ष।

54. गगन दीप चावला, पिता श्री बी.एस. चावला, आयु लगभग 19 वर्ष।

55. उमा रोहरा, पिता श्री ए.के. रोहरा, आयु लगभग 18 वर्ष।

56. वैभव शर्मा, पिता श्री ओ.पी. शर्मा, आयु लगभग 19 वर्ष।

57. विवेक लाठ, पिता श्री श्याम सुंदर लाठ, आयु लगभग 19 वर्ष।

सभी बी.डी.एस. द्वितीय वर्ष छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, सुंदरा, राजनांदगांव (छ.ग.)के छात्र हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली, द्वाराः सचिव, ए-आई-ई-गालिब मार्ग, कोलता रोड, टेम्पल लेन, नई दिल्ली (भारत)

3. छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान युथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित संस्थान, एक सोसायटी, द्वाराः सचिव,सुंदरा, राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक 5544/2005

याचिकाकर्तागण 1. जीडीआर एजुकेशनल सोसाइटी रुंगटा एजुकेशनल कैंपस, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग (छत्तीसगढ़) 491 001.

2. रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, कोहटा-कुरुद रोड, कुरुद, भिलाई-490024 (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव उच्च शिक्षा विभाग डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. समिति

प्रत्यर्थी राज्य द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में इस्लामिक अकादमी ऑफ एजुकेशन व अन्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य व अन्य द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन,मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्रमांक 5764/2005

याचिकाकर्तागण

1. श्वेता काबरा, पिता श्री रमेश चंद काबरा, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी सदर रोड, नवापारा, राजिम।
2. कंचन चौधरी, पिता श्री पी.एस. चौधरी, आयु लगभग 21 वर्ष,निवासी क्वार्टर क्रमांक बी/4, हॉस्पिटल कॉलोनी, बिश्रामपुर, सरगुजा (छ.ग.)
3. शालिनी चौबे, पिता श्री आर.एन. चौबे, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी अधिवक्ता कॉलोनी, सिविल कोर्ट के पीछे, सूरजपुर।
4. तृप्ति अग्रवाल, पिता अशोक अग्रवाल, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी प्रताप टॉकीज के पास, सरस्वती नगर, बिलासपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रीति आदिल. **D/o**.श्री बाल्मीकि प्रसाद आदिल, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी द्वारा बी.पी. आदिल, क्वार्टर नंबर 3 डी, स्ट्रीट नंबर 454, सेक्टर 10, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

6. दीप्ति नवलखा पिता श्री एम.एल. नवलखा, आयु करीब 19 वर्ष, निकट का निवासी सदर बाज़ार राजनांदगांव (छ.ग.)

7. निधि डागु पिता श्री मोहन लाल जी डागु, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी द्वारा श्री रामदेव एजेंसी, चौक, नंदई राजनांदगांव (छ.ग.).

8. कोमल जैन पिता श्री शांति लाल जैन, आयु लगभग 22 वर्ष, गीता भवन निवासी, अश्वनी नगर, रायपुर। (छ.ग.)

9. सुफ़ोआ परवीन पिता श्री एम.जे. अंसारी, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी अवंति विहार, सेक्टर 1, सी-3, रायपुर (छत्तीसगढ़)

10. श्वेता सिंह, पिता श्री धनराज सिंह, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी सी/ओ. डी.आर. सिंह, सिविल, क्रमांक 13, क्वार्टर 9 (दक्षिण पूर्व) कॉलोनी, जिला उमरिया।

11. आकांक्षा उबोवेजा, पिता श्री आई.एस.उबोवेजा, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी सी/ओ. इंदर सिंह बग्गा, माना मंदिर चौक, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. दीप्ति शर्मा, पिता श्री प्रमोद कुमार शर्मा, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी एफ-19, सिविल लाइंस, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

13. भावना चांदवानी, पिता जी. चंदवानी, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी 30, एमएलएनएन (पुराना) भिलाई (छत्तीसगढ़)

14. पूर्वा खंडेलवाल, पिता जे.के. खंडेलवाल, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी मेन रोड, वारासिवनी, जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश)

15. मानसी त्रिपाठी, पिता श्री डी.एन. त्रिपाठी, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी अमृत सागर कॉलोनी, करगी रोड, कोटा जिला बिलासपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. हनी सोनछात्रा पिता श्री प्रमोद सोनछात्रा, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी सीएम—2, कैलाश नगर, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

17. हर्षिता विजयवर्गीय पिता श्री एस.के. विजयवर्गीय, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी बी-ब्लॉक, 315-316, विजेता कॉम्प्लेक्स, न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

18. प्रज्ञा भारती रामटेके, पिता श्री के.आर. रामटेके, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी भरहापारा, राजनांदगांव (छ.ग.)

19. प्रज्ञा जायसवाल, पिता श्री प्रकाश जायसवाल, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी प्रकाश फैंसी क्लॉथ स्टोर, मेन रोड, बैकुंठपुर जिला कोरिया (छ.ग.)

20. सचिन कुमार अहिरवार, पिता श्री आर.सी. अहिरवार, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी पटना जिला कोरिया (छ.ग.)

21. शिल्पी के. पांडे, पिता डॉ. के. पांडे, आयु लगभग 21 वर्ष, विवेक विला निवासी, इंडस्ट्रियल एरिया रायपुर (छत्तीसगढ़)

22. स्वप्नलाल दलवांशल की पिता श्री पी. डी. दलवांशल आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी- शंकर नगर, टीवी टावर रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)

23. दीपिका फतनानी, पिता डॉ. टी.सी. फतनानी, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी- गीता नगर, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

24. नमिता अग्रवाल, पिता श्री अशोक कुमार अग्रवाल, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी कॉलोनी,

ईएसी ई-2 के पीछे कलेक्ट्रेट, रायपुर (छत्तीसगढ़)

25. सोनल जैन पिता श्री नरेंद्र जैन, आयु लगभग 21 वर्ष, इंजीनियर्स एंटरप्राइजेज, रामदीन मार्ग, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

26. महेश मोटलानी पिता श्री वी.डी. मोटलानी, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी लाल बाग, सिंधी कॉलोनी, गली नंबर 3, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

27. विजय अग्रवाल पिता श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी महालक्ष्मी राइस मिल, मोवा, रायपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. मनीषा अग्रवाल, पिता श्री एस.के. अग्रवाल, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी मेन रोड, जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

29. शीतल अग्रवाल, पिता श्री घनश्याम अग्रवाल, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी चंद्रा मेक्सिकल एजेंसी, लाल टंकी चौक, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

30. स्मृति गोस्वामी, पिता श्री एम.जी. गोस्वामी, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी आर-13, आदर्श नगर कॉलोनी, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

31. अभिलाषा दुबे, पिता डॉ. दुरेंद्र दुबे आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी शिवम विधुत नगर बोरसी रोड, दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. सोनल अग्रवाल, पिता श्री सुरेश अग्रवाल, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी द्वारा सत्यनारायण अग्रवाल, रेलवे क्रॉसिंग के पास, रायगढ़ (छ.ग.)

33. लामी खंडेलवाल, पिता डॉ. एन.एल. खंडेलवाल, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी सिविल लाइंस, धमतरी (छ.ग.)

34. सोनिया नाथ पिता दीपक कुमार नाथ, आयु लगभग 20 वर्ष निवासी - शंकर नगर दुर्ग (छ.ग.)

35. दिग्विजय शशि पिता उमेश चंद्र शशि, आयु लगभग 21 वर्ष निवासी आईओसी कॉम्प्लेक्स नार्थ वसुन्धरा नगर सिरसा गेट के पास भिलाई 3 दुर्ग

36. विज्जयता शर्मा पिता/डॉ.डीएस शर्मा आयु लगभग 21 वर्ष निवासी **B**- 109, 110 विजेता कॉम्प्लेक्स, न्यू राजेंद्र नगर रायपुर (छ.ग.)

37. रमनपाल सिंह मक्कड़ पिता एस. इंद्रजीत सिंह मक्कड़ आयु करीब 22 वर्ष गुरुद्वारा वार्ड तखतपुर नया वार्ड जिला बिलासपुर

38. विनय भटनागर, पिता श्री जे.डी. भटनागर, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी सरगुजा जिला अंबिकापुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. वैभव जैन पिता डॉ. सुरेश जैन, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी जैन नर्सिंग होम, गणेश चौक, धमतरी (छत्तीसगढ़)

40. वीरेंद्र सिंह राय, पिता श्री राजेंद्र सिंह राय, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी द्वारा राजेंद्र सिंह राय, शासकीय अस्पताल, नगरी

41. शशि अहिरवार, पिता श्री के.एल. अहिरवार, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी बैकुंठपुर, कोरिया (छत्तीसगढ़)

42. रेणु यादव, पिता श्री एस.एस. यादव, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी ए.वी. रोड, पावर हाउस के पास, इंदौर (मध्य प्रदेश)

43. शाहीन हमदानी पिता श्री अहमद हमदानी,आयु लगभग 22 वर्ष, नेहरू नगर, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

44. शशांक श्रीवास्तव, पिता श्री ए.के. श्रीवास्तव, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी कृष्णकुंज, 1271, नेपियर टाउन, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

45. गुंजन अग्रवाल, पिता श्री ओ.पी. अग्रवाल, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी मुख्य जिला ब्यासपुर चौक, शिवरीनारायण,जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

46. सौरभ जैन पिता श्री एस. जैन, आयु लगभग 23 वर्ष ,निवासी अरिहंत मेडिकल, गोलबाजार, मुंगेली (छत्तीसगढ़)

47. सौरभ भंडारी, स्व. श्री पी. भंडारी, आयु लगभग 22 वर्ष, छात्र बीडीएस, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

49. राजेश पोपटानी, पिता श्री एच.डी. पोपटानी, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी नहरपारा, रेलवे स्टेशन के पास, रायपुर (छत्तीसगढ़)

50. हेमंत साहू पिता स्व. श्री लक्ष्मणलाल,आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी- पचपेड़ी नाका चौक, रायपुर (छत्तीसगढ़)

51. आलोक साहू, पिता श्री अशोक साहू, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी: समता कॉलोनी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

52. सत्यम प्रकाश गुप्ता, पिता श्री जी.पी. गुप्ता, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी: रामानुजगंज, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

53. दिनेश अग्रवाल, पिता श्री बाबूलाल अग्रवाल, आयु करीब 22 वर्ष, निवासी मनीष मेडिकल स्टोर, मेन रोड, सरायपाली (छ.ग.)

54. प्रशांत नौकरकर पिता स्व. वसंत राव नौकरकर, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी पोस्ट असगांव, भंडारा (महाराष्ट्र)

55. आशीष अग्निहोत्री पिता श्री जे.पी. अग्निहोत्री, आयु करीब 23 वर्ष, निवासी आदित्य नगर हाउसिंग बोर्ड दुर्ग (छ.ग.)

56. निशीत सिंह पिता श्री यशराज सिंह, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी 29/38 सिविल लाइन, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

57. प्रवीण सरोज, पिता श्री सी.एल. सरोज, आयु करीब 23 वर्ष, निवासी महिमा विहार प्लॉट नंबर 10, बिलासपुर (छ.ग.)

58. नम्रता लुनिया, पिता जसराजजी लुनिया, आयु लगभग 21 वर्ष, ओसवाल का निवासी इलेक्ट्रिकल्स, दल्लीराजहरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

59. स्मिता बैद, पिता श्री अशोक बैद, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी सदर बाजार, धमतरी (छ.ग.)

60. वर्षा चोपड़ा, पिता अभय चोपड़ा, आयु लगभग 20 वर्ष,निवासी एन.सी.ज्वेलर गोयल बाजार धमतरी (छ.ग.)

61. श्वेता पोद्दार, पिता श्री अरविन्द पोद्दार, आयु करीब 24 वर्ष, निवासी सुंदर नगर, रायपुर (छ.ग.)

62. प्रदीप सोनी पिता पारसनाथ सोनी, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी एम/215, भटगांव कोलियरी जिला सरगुजा (छ.ग.)

63. मनु कात्रे, पिता स्व. डॉ. वाई.आर. कात्रे, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी 27, प्रोफेसर कॉलोनी, नेहरू नगर, पश्चिम भिलाई (छ.ग.)

64. पल्लवी चौरे पिता श्री एस.एल. चौरे, आयु लगभग 20 वर्ष,निवासी डेम साइड कॉलोनी, गंगरेल, जिला धमतरी (छ.ग.)

65. उज्जवल पांडे, पिता विजय शंकर पांडे, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी। भिलाई, जिला. दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

66. अंशुल शर्मा, पिता सुनील शर्मा, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी- सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)

67. निखिल जैन, पिता जे.के. जैन, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी. गंज पारा, जिला. दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

<u>उत्तरवादीगण</u> 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराःसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली, द्वाराः

सचिव, ए-आई-ई-गालिब मार्ग कोलता रोड, टेम्पल लेन,

नई दिल्ली (भारत)

3. छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान युथ

फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित संस्थान, एक

सोसायटी, द्वाराः सचिव, सुंदरा, राजनांदगांव (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल)क्रमांक 302/2009

याचिकाकर्ता: ईशा समैया, आयु लगभग 24 वर्ष, पिता श्री आर.के. समैया,

स्नातक दंत चिकित्सा छत्तीसगढ़ दंत शल्य चिकित्सा,

महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, निवासी 27/16, शीतलपुरी

कॉलोनी, बल्देवबाग, चौक, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली, द्वाराः सचिव,

ए-आई-ई-गालिब मार्ग, कोलता रोड, टेम्पल लेन, नई

दिल्ली (भारत)

3. छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान

युथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित संस्थान, एक

सोसायटी, द्वाराः सचिव, सुंदरा, राजनांदगांव (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल)क्रमांक 5028/2006

याचिकाकर्तागण 1. जीडीआर एजुकेशनल सोसाइटी

रुंगटा एजुकेशनल कैंपस, जीई रोड,

गंजपारा, दुर्ग (छत्तीसगढ़) 491 001.

2. रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी,

कोहका-कुरुद रोड, कुरुद, भिलाई-490024 (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव उच्च शिक्षा विभाग डी.के.एस.

भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. समिति

प्रत्यर्थी राज्य द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय

द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में इस्लामिक अकादमी

ऑफ एजुकेशन व अन्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य व अन्य द्वारा

सचिव,उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस भवन,मंत्रालय रायपुर

(छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्रमांक 4748/2005

याचिकाकर्तागण 1. यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया(छत्तीसगढ़ सोसाइटीज अधिनियम,1973 राजनांदगांव के अंतर्गत पंजीकृत एक संस्था द्वारा सचिव श्री एस.के. गांधी, आयु लगभग 42 वर्ष, (छत्तीसगढ़) द्वारा छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, पी.बी.क्रमांक 25 सुंदरा ,राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) 491441.

2. छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान (यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित) पी.बी. क्रमांक 25, सुंदरा राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा प्रशासक पदम चंद पारख, आयु लगभग 62 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री बाबूलाल पारख निवासी सदर बाजार राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव उच्च शिक्षा विभाग डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. समिति

प्रत्यर्थी राज्य द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में इस्लामिक अकादमी ऑफ एजुकेशन व अन्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य व अन्य

द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.भवन,मंत्रालय,

रायपुर (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्रमांक 7197/2008

याचिकाकर्तागण 1. रुचि मिश्रा, पिता डॉ. के.के. मिश्रा, आयु लगभग 24 वर्ष,व्यवसाय- छात्र बीडीएस अंतिम वर्ष पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान सुंदरा राजनांदगांव (छ.ग.) निवासी. मोहन नगर, दुर्ग, जिला. दुर्ग (छ.ग.)

2. अनुभूति, पिता डॉ. एल.के. रॉय, आयु लगभग 23 वर्ष , व्यवसाय -छात्र बीडीएस अंतिम वर्ष पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान संस्था सुंदर राजनांदगांव (छ.ग.),निवासी. चांदमारी पटना, जिला पटना (बिहार)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराःसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली, द्वाराः सचिव, ए-आई-ई-गालिब मार्ग, कोलता रोड, टेम्पल लेन, नई दिल्ली (भारत)

3. छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान युथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित संस्थान, एक सोसायटी, द्वाराः सचिव, सुंदरा, राजनांदगांव (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल)क्रमांक 7138/2008

याचिकाकर्तागण : 1. कु. ज्योति सुखवानी, पिता श्री सी.पी. सुखवानी, आयु लगभग 26 वर्ष।

2. कु. गीत अग्रवाल, पिता डॉ. राधेश्याम अग्रवाल, आयु लगभग 22 वर्ष।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. कु. फेबिना मेमन, पिता श्री यू.जी. मेमन, आयु लगभग 22 वर्ष।

4. कु. दिव्या साव, पिता श्री के.के. साव, आयु लगभग 24 वर्ष।

5. कु. रेशमा बेगम, पिता श्री जी.एम. खान, आयु लगभग 27 वर्ष।

6. कु. मधु पांडे, पिता श्री प्रेम प्रकाश पांडे, आयु लगभग 25 वर्ष।

7. श्रीमती पूर्णिमा सक्सेना, पत्नी श्री संजय सक्सेना, उम्र लगभग 32 वर्ष

8. पुनीत लूनियाल पिता हरीश लूनियाल, उम्र लगभग 25 वर्ष सभी याचिकाकर्तागण छात्र बी.डी.एस. पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष, छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, सुंदरा, राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराःसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली, द्वाराः सचिव, ए-आई-ई-गालिब मार्ग, कोलता रोड, टेम्पल लेन, नई दिल्ली (भारत)
3. छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान युथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित संस्थान, एक सोसायटी, द्वाराः सचिव, सुंदरा, राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः

श्री सुनील साहू, याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता, रिट याचिका क्र.5393/05,रिट याचिका(सिविल) क्र.7138/08, 7197/08 और रिट याचिकाक्र.5764/05 में।

श्री आर.के.समैया एवं श्री आर.एस. पटेल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, रिट याचिका(सिविल)क्र.302/09 में।

श्री जितेंद्र पाली, याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता, रिट याचिका क्र.4748/05, 5028/06 और 5544/05 में और उत्तरवादी क्रमांक 3 के अधिवक्ता, रिट याचिका(सिविल)क्र.7138/08, रिट याचिका क्र.5393/05, रिट याचिका(सिविल) क्र.302/09, 7197/08 और रिट याचिका क्र.5764/05 में।

श्रीमती। फौजिया मिर्जा, सहायक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उत्तरवादी क्रमांक 2 के लिए रिट याचिका क्र.5393/05, रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7138/08, 302/09 और रिट याचिका क्र.5764/05 में ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री शैलेन्द्र भारद्वाज, अधिवक्ता, सुश्री शर्मिला सिंघई, उत्तरवादी क्रमांक 2 के अधिवक्ता, रिट याचिका(सिविल) क्रमांक 7197/08 में ।

श्री विनय हरित, उप महाधिवक्ता, श्री एस.के. मिश्रा, राज्य की ओर से अधिवक्ता ।

<u>आदेश</u>

(पारित करने का दिनाँक 6 अप्रैल, 2010)

<u>न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा द्वारा,</u>

उपरोक्त रिट याचिकाओं का निराकरण इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है क्योंकि न्याय निर्णयन हेतु इस याचिका के समूह में विधि और तथ्यों के सामान प्रश्न अन्तर्वलित हैं।

02. रिट याचिका क्रमांक 5393/05, 5764/05, 7138/08, 7197/08 और रिट याचिका क्रमांक 302/09 में, याचिकाकर्तागण, जो छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान (संक्षिप्त में "संस्थान") के छात्र हैं, ने संस्थान को निर्देश देने की प्रार्थना की है कि वह शैक्षणिक सत्र 2004-05 से प्रति छात्र प्रति शैक्षणिक सत्र 1,25,000 रुपये की दर से शुल्क ले, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसाओं के अनुसार हो, और साथ ही प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि वे छात्रों द्वारा पूर्व में संदाय किए गए शुल्क के संबंध में उचित समायोजन करें और याचिकाकर्तागण-छात्रों से लिया गया अतिशेष शुल्क वापस करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. जबकि अन्य रिट याचिकाओं अर्थात् रिट याचिका क्रमांक 5544/05, 4748/05 और 5028/06 में, प्रबंधन समिति, जो छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान; रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंसेज एंड रिसर्च, रूंगटा, एजुकेशनल कैंपस, भिलाई और रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भिलाई और संबंधित संस्थानों का संचालन कर रही है, ने इस्लामिक

अकादमी एजुकेशन व अन्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य के प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य और राज्य द्वारा नियुक्त समिति के विरुद्ध रिट याचिकाएँ प्रस्तुत की हैं, और याचिकाकर्ताओं के महाविद्यालयों के लिए शुल्क संरचना के निर्धारण के संबंध में समिति की रिपोर्ट/अनुशंसाओं/निष्कर्षों को अपास्त करने का अनुरोध किया है। उन्होंने प्रतिवादियों को 2005-06 शैक्षणिक सत्र से लागू 'सत्र' के अनुसार नई तर्कसंगत शुल्क संरचना निर्धारित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04. दिनाँक 22.2.2010 को प्रकरण को आदेश हेतु सुरक्षित रखे जाने के बाद, याचिकाकर्ता क्रमांक 41 सोनाली जैन की ओर से रिट याचिका क्रमांक 5393/05 को वापस लेने की अनुमति हेतु दिनाँक 8.3.2010 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन स्वीकार किया जाता है, उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाती है और तदनुसार, सोनाली जैन के अनुरोध पर दायर याचिका क्रमांक 5393/05 को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है।

05. संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं-छात्रों की शिकायत यह है कि पीएमटी परीक्षा में उनकी रैंकिंग के आधार पर, उन्हें काउंसलिंग के बाद वर्ष 2004-05 में चार वर्षीय बीडीएस-1 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। प्रत्यर्थी संस्थान 2002-03 से बीडीएस पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है और शुरुआत में, शिक्षण शुल्क 38,000

रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। हालाँकि, बाद में इसे बढ़ाकर 2,12,500 रुपये प्रति शैक्षणिक वर्ष कर दिया गया और प्रवेश के समय याचिकाकर्ताओं से प्रति सत्र 30,000 रुपये छात्रावास शुल्क भी लिया गया। संस्थान के विवरणिका में उल्लेख किया गया है कि बीडीएस पाठ्यक्रम में शिक्षण शुल्क संरचना भारत के उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी और याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया गया है कि यदि उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शुल्क संरचना कम की जाती है, तो वे तदनुसार शुल्क लेंगे और विवरणिका में उल्लिखित छात्रों द्वारा अतिरिक्त भुगतान के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाएगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ शासन ने इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन में दिए गए उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.8.2003 के निर्णय के अनुपालन में, राज्य के निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक (तकनीकी) शिक्षण संस्थानों की शुल्क तय करने के लिए दिनांक 17.6.2004 की अधिसूचना द्वारा एक समिति नियुक्त की। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और संस्थान के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम की ट्युशन फीस 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित करने की सिफारिश की। उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, समिति की अनुशंसाएँ शैक्षणिक सत्र 2004-05 से लागू होनी थीं। हालाँकि, राज्य शासन के सचिव ने संस्थान के प्रधानाचार्य को संबोधित 25 जुलाई, 2005 के अपने ज्ञापन के माध्यम से निर्देश दिया कि समिति द्वारा अनुशंसित शुल्क 2005-06 से अगले तीन वर्षों

अर्थात 2007-08 तक लागू रहेगा। समिति ने शिक्षण शुल्क निर्धारित करने के उद्देश्य से, प्रत्यर्थी-संस्थान को पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति और आगामी चार वर्षों के लिए वित्तीय योजना, जिसमें 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाला वर्ष भी शामिल है, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। संस्थान को पिछले तीन वर्षों के खातों का विवरण भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जिसमें 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाला वर्ष भी शामिल है, यदि कोई हो, अनुलग्नक **P**/2 के अनुसार। सुसंगत जानकारी प्राप्त करने के बाद, प्रत्यर्थी-संस्थान के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम हेतु शुल्क 1,25,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया गया। यह रिपोर्ट 2004-05 से लागू थी। हालाँकि, सचिव ने मनमाने ढंग से निर्देश दिया कि समिति की रिपोर्ट 2005-06 से लागू होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश में भी, दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की शुल्क संरचना तय करने के लिए एक समिति गठित की गई थी और तदनुसार, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर के लिए शुल्क 1,40,000 रुपये निर्धारित की गई थी और इसे अनुलग्नक पी/4 के अनुसार 2004-05 से लागू किया गया है। अनुलग्नक पी/3 में निहित राज्य शासन के सचिव के निर्देश के कारण, एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2005-06 के लिए '1,25,000 रुपये' की आवश्यकता है, लेकिन संस्थान 1,25,000 रुपये की ट्युशन फीस का भुगतान करने के लिए

शैक्षणिक सत्र 2004-05 के लिए 2,12,500 रुपये की ट्युशन फीस लेने का प्रस्ताव करता है, जिसकी अनुमति कभी नहीं दी जा सकती।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 27 अप्रैल, 2009 को पारित आदेश सिविल अपील क्रमांक 2856/09, कुलाधिपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय व अन्य विरुद्ध सुदीप श्रीवास्तव व अन्य, और अन्य संबंधित अपीलों को हमारे अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए, यह तर्क दिया गया कि बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 'सिम्स') में चिकित्सा विज्ञान (संक्षेप में भुगतान सीटों) के विरुद्ध प्रवेश पाने वाले छात्रों को शुरुआत में 2,50,000/- रुपये का शुल्क देने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2003-04 में प्रवेश लिया था। इसके बाद, समिति ने उक्त संस्थान में भुगतान सीट के लिए 1,90,000/- रुपये का शुल्क निर्धारित किया, जिसे चुनौती नहीं दी गई और यह अंतिम हो गया। इन परिस्थितियों में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समिति द्वारा निर्धारित शुल्क उन छात्रों द्वारा भुगतान किया जाएगा, जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2003-04 में और 2004-05 में भुगतान सीटों के विरुद्ध प्रवेश लिया था। संस्थान को उन छात्रों को अतिरिक्त शुल्क वापस करने का निर्देश दिया गया, जिन्होंने भुगतान सीटों के विरुद्ध प्रवेश लिया था और 2,50,000/- रुपये का भुगतान किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

07. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. समैया ने याचिका (सिविल) क्रमांक 302/09 में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2003-04 में प्रत्यर्थी संस्थान में भुगतान सीट पर प्रवेश लिया था। उसने प्रत्यर्थी संस्थान के निर्देशानुसार प्रति शैक्षणिक सत्र 1,50,000/- रुपये की दर से शिक्षण शुल्क का भुगतान किया। प्रत्यर्थी संस्थान के लिए शिक्षण शुल्क निर्धारित करने हेतु उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसाओं और संस्थान के विवरणिका (अनुलग्नक **P**/1) की शर्तों से बाध्य हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शुल्क संरचना उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। चूँकि याचिकाकर्ता ने संस्थान द्वारा वर्ष 2003-04 से माँगी गई 1,50,000/- रुपये की अतिरिक्त ट्युशन फीस का भुगतान किया है और चूँकि समिति द्वारा अनुशंसित और राज्य द्वारा स्वीकृत शुल्क संरचना 2003-04 से लागू होगी, याचिकाकर्ता अपने द्वारा भुगतान की गई किसी भी अतिरिक्त ट्युशन फीस के समायोजन/वापसी की हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रियंका विरुद्घ मध्य प्रदेश राज्य व अन्य 2007 (3) एम.पी.एल.जे. 325 में प्रतिवेदित प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया गया है,

08. श्री विनय हरित, राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के विद्वान उप महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, दिनांक 17.6.2004 की अधिसूचना के अनुसार, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एस.डी. झा की अध्यक्षता में पाँच सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया था। सचिव, चिकित्सा शिक्षा को सदस्य नियुक्त किया गया था। सचिव और अन्य तीन सदस्य थे: चार्टर्ड अकाउंटेंट, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा नामित व्यक्ति और एक विशेषज्ञ डॉ. डी.एस. तिवारी। समिति ने प्रत्यर्थी संस्थान के लिए प्रति वर्ष 1,25,000 रुपये की ट्युशन फीस निर्धारित की और सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा ने अपने ज्ञापन दिनांक 25 जुलाई, 2005 के माध्यम से संस्थान को निर्देश दिया कि वह 2005-06 से अगले तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1,25,000 रुपये की ट्युशन फीस ले।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

09. संस्थान और संस्थान की प्रबंधन समिति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र पाली ने तर्क किया कि टीएमए पाई फाउंडेशन व अन्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य व अन्य, (2002) 8 एससीसी 481 में प्रतिवेदित प्रकरण में, प्रवेश देने और शुल्क निर्धारण से संबंधित योजना बनाने के संबंध में उन्नी कृष्णन के प्रकरण के निर्णय और यूजीसी, एआईसीटीई, भारतीय चिकित्सा परिषद, केंद्र और राज्य शासन आदि को दिए गए परिणामी निर्देश को अस्वीकार कर दिया गया है, और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ली जाने वाली शुल्क का निर्णय अनिवार्य

रूप से उस निजी शैक्षणिक संस्थान पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो शासन से कोई धनराशि नहीं मांगता या उस पर निर्भर नहीं है।

10. इस्लामिक अकादमी प्रकरण में,—इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या शैक्षणिक संस्थान अपनी शुल्क संरचना स्वयं निर्धारित करने के हकदार हैं, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया कि टीएमए पई के प्रकरण में पारित निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए, संबंधित राज्य सरकारें प्रत्येक राज्य में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेंगी, जिसे उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा। न्यायाधीश द्वारा नामित अन्य सदस्य, एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट, भारतीय चिकित्सा परिषद (संक्षेप में 'एमसीआई') या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संक्षेप में एआईसीटीई) का प्रतिनिधि होना चाहिए, जो संस्थान के प्रकार पर निर्भर करता है। राज्य शासन का सचिव, जो चिकित्सा शिक्षा या तकनीकी शिक्षा का प्रभारी हो, जैसा भी प्रकरण हो, समिति का सदस्य और सचिव होगा और समिति द्वारा नामित/सह-चुना गया एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकरण में, समिति को दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए शुल्क संरचना निर्धारित करने का कार्य भी सौंपा गया था। हालाँकि, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद का कोई भी सदस्य समिति में शामिल नहीं था और इस प्रकार,

समिति का गठन उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था। समिति ने छत्तीसगढ़ राज्य के दंत चिकित्सा, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों के शुल्क निर्धारण पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, अपने अल्पमत मत में यह अभिनिर्धारित किया कि समिति को उपरोक्त महाविद्यालयों के संबंध में शुल्क निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। समिति ने संस्थान द्वारा दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने में किए गए व्यय पर भी विचार नहीं किया। दंत चिकित्सा शिक्षा दुनिया भर में शिक्षा की सबसे महंगी विधाओं में से एक है, और संस्थान केवल 1,25,000 रुपये प्रति छात्र वार्षिक शुल्क के साथ अपने छात्रों के लिए उच्च मानकों को बनाए नहीं रख सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अंत में यह तर्क दिया गया कि समिति की रिपोर्ट को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता और इसे भविष्य में लागू किया जा सकता है।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है, रिट याचिकाओं के अभिलेखों का और शुल्क निर्धारण समिति के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

13. संबंधित पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों के आधार पर, इन याचिकाओं में निम्नलिखित विवाद्यक विचारार्थ उद्भूत हैं:

(i) क्या शुल्क निर्धारण समिति का गठन उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था?

(ii) क्या समिति ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए

शुल्क संरचना निर्धारित की थी?

(iii) यदि यह पाया जाता है कि समिति की रिपोर्ट न्यायसंगत और उचित है, तो समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन की तिथि क्या होनी चाहिए?

I. समिति की संरचना:

14. इस समिति का गठन इस्लामिक अकादमी प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में किया गया था, जिसमें कण्डिका-7 में निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे:

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7.....हम निर्देश देते हैं कि टीएमए पाई के प्रकरण में पारित निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए, संबंधित राज्य शासन प्रत्येक राज्य में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेंगी, जिसे उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा। अन्य सदस्य, जिसे न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा, प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रतिनिधि होना चाहिए। एक 'एमसीआई') या अखिल भारतीय संक्षेप में भारत चिकित्सा परिषद ('एआईसीटीई' में) तकनीकी

शिक्षा परिषद (संक्षेप में संस्थान के प्रकार के आधार पर) भी सदस्य होगा। चिकित्सा शिक्षा या तकनीकी शिक्षा के प्रभारी राज्य शासन के सचिव, जैसा भी प्रकरण हो, समिति के सदस्य और सचिव होंगे। समिति किसी अन्य प्रतिष्ठित स्वतंत्र व्यक्ति को नामित/सहयोजित करने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए, ताकि समिति के सदस्यों की कुल क्रमांक 5 से अधिक न हो।

15. छत्तीसगढ़ राज्य के निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक (चिकित्सा) शैक्षणिक संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारण समिति में न्यायमूर्ति एस.डी. झा सदस्य (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष के रूप में शामिल थे। चिकित्सा शिक्षा सचिव को सचिव नियुक्त किया गया था, उनके साथ तीन अन्य सदस्य थे: चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमसीआई नामित और एक विशेषज्ञ। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ राज्य के निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक (तकनीकी) संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति में न्यायमूर्ति एस.डी. झा अध्यक्ष थे, तकनीकी शिक्षा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सदस्य सचिव थे और तीन अन्य सदस्य थे: शिक्षाविद्, एआईसीटीई नामित और चार्टर्ड अकाउंटेंट।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इस्लामिक अकादमी प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न यह था कि क्या शैक्षणिक संस्थानों को अपना शुल्क ढांचा स्वयं तय करने का

अधिकार है? इस पहलू पर विचार करते हुए, एक समिति के गठन का निर्देश जारी किया गया था। शुल्क निर्धारण हेतु समिति के गठन के उद्देश्य से, शैक्षणिक संस्थानों को चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, जैसी भी स्थिति हो, श्रेणियों में विभाजित किया गया है। राज्य में दंत चिकित्सा महाविद्यालय चलाने वाले दंत चिकित्सा संस्थान भी चिकित्सा शिक्षा की एक शाखा हैं और इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, संस्थान के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के नामित व्यक्ति की अनुपस्थिति में, समिति को दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए शुल्क ढांचा तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

II. क्या समिति ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए शुल्क संरचना तय की?

17. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को शैक्षणिक वर्ष से काफी पहले अपनी प्रस्तावित शुल्क संरचना समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी थी। प्रस्तावित शुल्क संरचना के साथ, सभी सुसंगत दस्तावेज़ और लेखा-बही भी समिति के समक्ष जाँच के लिए प्रस्तुत करने थे। ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर, समिति को यह निर्णय लेना था कि क्या संस्थानों द्वारा प्रस्तावित शुल्क उचित हैं और क्या वे मुनाफाखोरी या कैपिटेशन शुल्क नहीं ले रहे हैं।

समिति संस्थानों द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना को अनुमोदित करने या कोई अन्य शुल्क प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र है, जिसे संस्थान वसूल सकते हैं।

इस प्रकरण में, निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक (चिकित्सा) संस्थानों के लिए गठित समिति के अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में, समिति के चार सदस्यों ने अध्यक्ष की इस राय को स्वीकार कर लिया था कि समिति को दंत चिकित्सा महाविद्यालयों और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले अन्य शैक्षणिक संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर, की शुल्क संरचना निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। हालाँकि, दिनांक 2.7.2005 की अंतिम रिपोर्ट बहुमत की राय के आधार पर तैयार और हस्ताक्षरित की गई थी। यह भी स्पष्ट है कि संस्थानों को शुल्क संरचना निर्धारित करने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। संस्थानों ने विभिन्न मदों के अंतर्गत कुल व्यय दर्शाते हुए अपने खाते प्रस्तुत किए, जो प्रति वर्ष होने की संभावना थी, उन पर विधिवत विचार और जाँच की गई और उसके बाद, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा गणना के अनुसार संस्थान के विकास पर व्यय को 9.33% की दर से जोड़कर शुल्क निर्धारित किया गया। इस प्रकार, शुल्क निर्धारण समिति द्वारा प्रति छात्र 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से वार्षिक शुल्क निर्धारित करने की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक अकादमी प्रकरण में निर्धारित प्रक्रिया के पूर्णतः अनुरूप थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

III. यदि यह पाया जाता है कि समिति की रिपोर्ट न्यायसंगत और उचित है, तो समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन की तिथि क्या होनी चाहिए?

18. समिति ने अपनी रिपोर्ट में निर्देश दिया है कि समिति द्वारा निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2005-06 से प्रभावी होगा। रिपोर्ट राज्य शासन द्वारा अपने आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2005 (अनुलग्नक **R**/1) द्वारा स्वीकार कर ली गई है और तदनुसार, संस्थान के लिए शैक्षणिक सत्र 2005-06 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति छात्र 1,25,000/- रुपये प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. हमारे लिए अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या संस्थान और उसकी प्रबंध समिति पूर्व शैक्षणिक सत्रों अर्थात् शैक्षणिक सत्र 2003-04 और 2004-05 के लिए अतिरिक्त शुल्क रख सकती है/उठा सकती है?

शैक्षणिक सत्र 2004-05 के विवरणिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि बीडीएस पाठ्यक्रम में शिक्षण शुल्क भारत के उच्चतम न्यायालय और/या केंद्र/राज्य शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार होना था। प्रस्तावित शुल्क संरचना के संबंध में शैक्षणिक सत्र 2004-05 के शैक्षणिक संस्थानों से विशेष रूप से तैयार

किए गए प्रोफार्मा में सहायक दस्तावेजों सहित अनुरोध पत्र मंगवाए गए थे। संस्थानों के प्रस्तावों की जाँच के बाद, शुल्क संरचना निर्धारित की गई है।

20. टीएमए पाई प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने प्रवेश देने और शुल्क निर्धारण से संबंधित योजना को खारिज करते हुए, जैसा कि उन्नी कृष्णन प्रकरण में प्रस्तावित था, कण्डिका-57 में यह टिप्पणी की:

> "हालांकि, हम एक बात पर बल देना चाहते हैं, और वह यह है कि एक तरह से, शिक्षा व्यवसाय के चूँकि इसे धर्मार्थ माना जाता है, इसलिए शासन ऐसे नियम बना सकती है जो शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करेंगे, साथ ही संस्था द्वारा कैपिटेशन शुल्क लेने और मुनाफाखोरी पर रोक लगा सकती है। चूँकि एक शैक्षणिक 'धर्मार्थ' संस्था की स्थापना का उद्देश्य है, इसलिए यह स्पष्ट है कि एक शैक्षणिक संस्थान परिभाषा के अनुसार ऐसा शुल्क नहीं ले सकता जो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक न हो। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो, एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना में, उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए क्योंकि शिक्षा अनिवार्य रूप से धर्मार्थ प्रकृति की है। हालाँकि, एक उचित राजस्व अधिशेष हो सकता है, जो शैक्षणिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संस्थान द्वारा शिक्षा के विकास और संस्थान के विस्तार के प्रयोजनार्थ उत्पन्न किया जा सकता है।"

21. हम सिविल अपील क्रमांक 2856/09, कुलाधिपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय व अन्य विरुद्ध सुदीप श्रीवास्तव व अन्य, और अन्य संबंधित सिविल अपीलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी संज्ञान लेते हैं, जिसमें सिम्स को शैक्षणिक वर्ष 2003-04 और 2004-05 में प्रवेश पाने वाले छात्रों से प्राप्त शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वापस करने का निर्देश दिया गया था। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि झा समिति ने 27 जून, 2005 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सिम्स में प्रवेश के लिए शुल्क संरचना भी निर्धारित की थी और इसे 2004-05 से प्रभावी बनाने की सिफारिश की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इस प्रकार, शुल्क संरचना के संबंध में विवरणिका में दिए गए प्रावधानों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शुल्क निर्धारण समिति ने संस्थानों द्वारा प्रस्तुत सुसंगत दस्तावेजों, अंकेक्षित खातों आदि को ध्यान में रखते हुए शुल्क निर्धारित किया है, और साथ ही टीएमए पई के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों पर भी विचार करते हुए, हमारा यह सुविचारित अभिमत है कि संस्थान और उसकी प्रबंध समिति को समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक कोई भी शुल्क लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती, यहाँ तक कि

2005-06 से पहले के वर्ष के लिए भी नहीं और प्रवेश के समय छात्रों द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक भुगतान की गई कोई भी राशि, समिति की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं-छात्रों द्वारा देय किसी भी देय राशि को समायोजित करने के बाद याचिकाकर्ताओं-छात्रों को वापस कर दी जाएगी।

23. परिणामस्वरूप:

- संस्थान और उसकी प्रबंध समिति द्वारा दायर रिट याचिकाएँ क्रमांक 5544/05, 5028/06 और 4748/05 एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।
- रिट याचिकाएँ क्रमांक 5393/05, 5764/05, 7197/08, 7138/08 और 302/09 उपरोक्त शर्तों के साथ स्वीकार की जाती हैं। हम प्रत्यर्थी-संस्थान को निर्देशित करते हैं कि इन छात्रों से प्राप्त अतिरिक्त शुल्क वापस की जाए।

वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(धीरेंद्र मिश्रा)

न्यायाधीश

सही/-

(आर.एन. चन्द्राकर)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By; Vikeshveri